न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम,अम्बेडकरनगर।

UPAN010023162025

Criminal Misc. Cases/246/2025

रूचि यादव बनाम सरकार उ.प्र.आदि

24.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। बार–बार पुकार कराये जाने के बावजूद भी प्रार्थिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई हाजिरी माफी या मौका प्रार्थनापत्र ही प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चल रही है। पत्रावली प्रार्थनापत्र 4ब अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पर सुनवाई हेतु नियत है परन्तु प्रार्थिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना चाहती है। अतः प्रार्थिनी की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत प्रकीर्ण फौजदारी वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत प्रकीर्ण फौजदारी वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(पवन कुमार शुक्ला)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी.6286

Digitally signed by PAWAN KUMAR SHUKLA
Date: 2026.07.24 16:07:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court